संख्या– 18 / खेल / 2004–06 (खेल) / 2004

प्रेषक

अमिताभ श्रीवास्वत
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में

निदेशक,
खेल निदेशालय, देहरादून।

खेल अनुभाग– देहरादून दिनांक 10 फरवरी, 2004

विषयः– स्पोर्ट्स कालेज, कोटद्वार में वार्डन रूम का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त स्टेडियम की बाउन्ड्रीवॉल की मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3407 / कोटद्वार स्टे0प0 / 03–04 दिनांक 10 फरवरी, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कालेज, कोटद्वारा में वार्डन रूम का निर्माण एंव क्षतिग्रस्त स्टेडियम की बाउन्ड्रीवॉल की मरम्मत हेतु प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 4.30 लाख (रूपये चार लाख तीस हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए । अतः व्यय करते समय मित व्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनदेश में निहित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमादित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

4– कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन / मानचित्र तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, बिना प्राविधानित स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनॉक 31–3–04 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो शासन को उक्त तिथि को उक्त तिथि कोसमर्पित कर दी जायेगी। कार्य के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध में पैनाल्टी क्लॉज रखा जाना भी सुनिश्चित करें।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

7– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित करें।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारीयों एवं भुगर्भवित्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणीके अनुरूप कार्य किया जाय।

10– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

11– निर्माण सामाग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामाग्री को प्रयोगा में लाया जाय ।

12– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–03–खेल कूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–108–युवा सेवार्ये–05–स्पोटर्स स्टेडियम का निर्माण चालू कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य नामक मद के नामें डाला जायेंगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या––2150/वित्त अनुभाग–2/2003–2004 दिनांक–9 फरवरी में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– (1)खेल/2004–06(खेल)/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड देहरादून ।
2– निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल शासन देहरादून ।
3– श्री एल0एम0पन्त0 अपर सचिव वित्त विभाग ।
4– वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरादून ।
5– अधिशासी अभियन्ता, समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, पौड़ी गढ़वाल।
6– निदेशक एन0आई0सी0 देहरादून ।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन ।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।